

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

संचिका सं०-12/वि०-157/2024-1869 पटना, दिनांक-01/12/25
विषय:-संवेदक, ऊँ श्री इंटरप्राईजेज, ग्राम-सुरो ओझा टोली, पोस्ट-बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय
(सूचीबद्धता सं०-201220220206, Class-II) को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत
आमंत्रित ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2023-24 (R1) गुप सं०-1 एवं 02 में
प्रयुक्त दस्तावेज सत्यापनोपरान्त फर्जी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार ठीकेदारी निबंधन
नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के तहत काली सूची में दर्ज करने के संबंध में ।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत आमंत्रित ई०-निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/
2023-24 (R1) गुप संख्या-01 एवं 02 में प्रयुक्त अनुभव प्रमाण-पत्र सत्यापन के क्रम में फर्जी
पाये जाने के कारण क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर का पत्रांक-500
दि०-19.05.2025 के माध्यम से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित प्रावधान के
तहत संवेदक, ऊँ श्री इंटरप्राईजेज, (सूचीबद्धता सं०-201220220206 Class-II) के निबंधन को
काली सूची में दर्ज करने हेतु विभाग को अनुशंसा उपलब्ध करायी गई।

प्राप्त अनुशंसा के क्रम में विभागीय पत्रांक-809, दि०-02.06.2025 के द्वारा संवेदक को
उक्त के संबंध में साक्ष्य सहित अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करने हेतु निदेशित किया
गया। जिसके आलोक में एजेन्सी के द्वारा दिनांक-11.06.2025 को अपना स्पष्टीकरण विभाग को
उपलब्ध कराया गया। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि समरूप कार्य हेतु उनके द्वारा जो
अनुभव प्रमाण पत्र लगाया गया है वो सही है एवं उक्त प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, बिहार
राज्य सैक्षणिक आधारभूत संरचना, दरभंगा प्रमंडल के पत्रांक-BSEIDC/DBG/EX/1048/2022
दिनांक-24.09.2022 के द्वारा निर्गत किया गया है।

कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी के पत्रांक-251, दि०-25.01.2024 के
माध्यम से सूचित किया गया है कि संवेदक के द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अंतर्गत
आमंत्रित ई०-निविदा आमंत्रण सूचना सं०-03/2023-24 (R1) गुप सं०-1 एवं 2 (विभागीय
कार्यालय भवन निर्माण से संबंधित) में भाग लिया गया। संवेदक के द्वारा प्रयुक्त अनुभव प्रमाण
पत्र, जो कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, बिहार राज्य सैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास
निगम लिमिटेड, दरभंगा प्रमंडल से निर्गत है, का सत्यापन कराने हेतु उनके कार्यालय पत्रांक-712,
दि०-25.03.2023 के द्वारा भवन प्रमंडल, मधुबनी को भेजा गया। तदोपरांत कार्यपालक अभियंता,
बिहार राज्य सैक्षणिक आधारभूत संरचना, दरभंगा प्रमंडल का पत्रांक-BSEIDC/DBG/EX/473/2023
दिनांक-05.04.2023 के द्वारा सूचित किया गया कि एजेन्सी द्वारा निविदा के साथ संलग्न अनुभव
प्रमाण पत्र में अंकित Date of completion बदलकर अपलोड किया गया है।

संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित बिन्दुओं पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर
प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से स्पष्ट मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जिसके आलोक में
उन्होंने अपने कार्यालय के पत्रांक-1330, दिनांक-29.11.2025 के माध्यम से संवेदक के निबंधन
को काली सूची में दर्ज करने संबंधी पूर्व के अनुशंसा पर पुनः सहमति दी गयी है।

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा एवं संवेदक से
प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित तथ्यों की समीक्षा की गई। उक्त से यह परिलक्षित होता है कि
निविदा सूचना सं०-03/2023-24 (R1) गुप सं०-1 एवं 2 के निविदा (विभागीय कार्यालय भवन
निर्माण से संबंधित) में संवेदक के द्वारा फर्जी दस्तावेज समर्पित कर निविदा प्राप्त करने का कृत्य
किया गया है। उक्त स्थिति में संवेदक के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं माना जा सकता
है।

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरांत प्रस्तुत मामले में फर्जी दस्तावेज समर्पित करने हेतु बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 'क' की उपकंडिका-(VII) के आलोक में संवेदक, ऊँ श्री इंटरप्राइजेज, ग्राम-सुरो ओझा टोली, पोस्ट-बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय (सूचीबद्धता सं०-201220220206) को 03 (तीन) वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज करने का निर्णय लिया जाता है।

उक्त दण्ड के विरुद्ध बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (घ) के आलोक में एजेन्सी द्वारा 30 (तीस) दिनों के अन्दर सचिव महोदय के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

31/12/25
01.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-157/2024-1869 पटना, दिनांक-01.12.25
प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/12/25
01.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-157/2024-1869 पटना, दिनांक-01.12.25
प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव (मुख्यालय)/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, आई० टी० मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई० टी० मैनेजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

31/12/25
01.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-157/2024-1869 पटना, दिनांक-01.12.25
प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी/संवेदक, ऊँ श्री इंटरप्राइजेज, ग्राम-सुरो ओझा टोली, पोस्ट-बछवाड़ा, जिला-बेगूसराय email-pjha323@gmail.com (सूचीबद्धता सं०-201220220206), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/12/25
01.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक-12/वि०-157/2024-1869 पटना, दिनांक-01.12.25
प्रतिलिपि-सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

31/12/25
01.12.25

(अभय कुमार सिंह)

मुख्य अभियंता (रूपांकण)